माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक निगरानी-0559/2019/आगर-मालवा/भू.रा.

पार्थी अभिभावक श्री रविकान्त सोनी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 23/3/19
23-3-19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

श्यामलाल पिता श्री लक्ष्मीनारायणजी दर्जी
निवासी–ग्राम कानड़ तहसील व जिला
आगर–मालवा (म.प्र.) ––––अपीलार्थी

विरूद्ध

1– हरीसिंह पिता श्री मोतीलाल लोहार
2– बालुसिंह पिता श्री मोतीलाल लोहार
3– उदयसिंह पिता श्री मोतीलाल लोहार,
निवासीगण–ग्राम कानड़ तहसील व जिला
आगर–मालवा (म.प्र.)
4– मध्य प्रदेश शासन द्वारा द्वारा मौजा
पटवारी ग्राम कानड़ तहसील व जिला
आगर–मालवा (म.प्र.) ––––प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म.प्र.) के न्यायालय का प्रकरण कमांक 1564/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02/03/2019 से असन्तुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कानड़ जिला आगर के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 1/अ–70/2014–15 होकर इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था, कि

निरंतर....2

(174) (204)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/0449/2019/आगर-मालवा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/03/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	